

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2017-18

खण्डवा, दिनांक 21.5.2018

// लोक सूचना - जारी दिनांक 21.5.2018 //

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” के तहत धारा-21 (1) के तहत

प्रस्तावक विभाग :- उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर

राज्य शासन को नीचे दी गयी अनुसूची में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैं एवं राज्य शासन का ईरादा उक्त भूमि का कब्जा लिये जाने का है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गयी जमीन पर आपको किस तरह का हक्क है। सार्वजनिक कार्य के लिये हासिल की जाने वाली जमीन का मुआवजा पाने के लिये अपने हक्क के तफसील दे और जमीन के पेमाईश के बारे में अगर आपको कोई आपत्ति हो तो पेश करे। अपनी लिखित आपत्ति स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा के न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 20.6.2018 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत दिनांक बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला : खण्डवा
(ख) तहसील : खण्डवा
(ग) ग्राम : खण्डवा तरफ माली
(घ) अर्जित रकबा : 0.036 हेक्टेयर



खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
1/2	0.028
26/4	0.008
कुल खसरा नं० -02	कुल रकबा- 0.036 असिंचित

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा

पृ0क0/री-2/भू.अ.प./2018,

खण्डवा, दिनांक- 21.5.2018

प्रतिलिपि :-

- 1- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर भेजकर लेख है कि जिले की वेबसाईड पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
- 2- तहसीलदार तहसील खण्डवा की ओर की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानो पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम मे ढोडी पिटवाकर बाद तामिली के आठ दिवस मे वापस भिजवाने की व्यवस्था करे।
- 1- तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 2 आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा के नोटिस बोर्ड
- 3- ग्राम **खण्डवा तरफ माली** की चौपाल पर



अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा
वास्ते कलेक्टर जिला खण्डवा

खण्डवा	1/2
खण्डवा	2/3
खण्डवा	3/4